वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त शाखा
(ग्राम्य विकास)

संख्या 1645/व.ग्रा.वि./2001 देहरादूनः दिनांक 4 जुलाई, 2001

कार्यालय ज्ञाप

वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त शाखा के कार्यालय ज्ञाप 523/व.ग्रा.वि./2001 दिनांक 26 मार्च, 2001 के द्वारा टी.टी.डी.सी. योजना के अन्तर्गत बायो फर्टिलाईजर योजना देहरादून, हरिद्वार एवं नैनीताल में प्रारम्भ की गई थी, उक्त योजना के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु राज्य स्तर पर एक राज्य स्तरीय कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण समिति बनाये जाने का शासन स्तर से निर्णय लिया गया है, पूर्व में जारी आदेशों के द्वारा जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, देहरादून को इस योजना के अन्तर्गत नोडल एजेन्सी बनाये जाने तथा शासन स्तर पर अधिकारियों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून को इस समिति का अध्यक्ष नामित किया जाता है तथा इस समिति के सदस्य, निम्नानुसार होंगे :

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल द्वारा नामित एक अधिकारी — सदस्य
2. निदेशक, दुग्ध विकास, उत्तरांचल — सदस्य
3. संयुक्त निदेशक गन्ना, उत्तरांचल — सदस्य
4. परियोजना निदेशक नैनीताल/हरिद्वार — सदस्य
5. सुश्री विनीता साह, परियोजना समन्वयक (तकनीकी) सूपा बायोटैक, वर्नन कॉटेज, नैनीताल — सदस्य
6. श्री संजय अग्रवाल, मेप्पल आग्रेनिक्स, झाझरा, देहरादून — सदस्य
7. परियोजना, निदेशक, डी.आर.डी.ए. देहरादून — सदस्य संयोजक

उपरोक्त समिति की बैठक प्रत्येक माह प्रमुख सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास द्वारा बुलाई गयी राज्य स्तरीय बैठक के दिन ही आहूत की जायेगी.

2. यह समिति इस विशेष प्रोजेक्ट में स्वतंत्र एजेन्सी के रूप में कार्य करेगी तथा इस विशेष प्रोजेक्ट निर्णय लेने के लिए स्वयं सक्षम होगी.

2.1 समिति के कार्य :

2.1.1 वार्षिक कार्ययोजना तैयार करना.

2.1.2 योजना का क्रियान्वयन एवं योजनाओं के संचालन में आ रही समस्याओं का निराकरण अपने स्तर से कराना.

2.1.3 सम्बन्धित जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों की तीन माह की कार्ययोजना के अनुसार समय से धनराशि भिजवाया जाना सुनिश्चित कराया जाना तथा धनराशि का समय से उपभोग कराना एवं धनराशि उपभोग में आ रही कठिनाईयों का निराकरण कराना.

2.1.4 मास्टर ट्रेनर द्वारा कराये जा रहे प्रशिक्षण का समय–समय पर परीक्षण करना तथा तकनीकी परामर्शियों की सुविधायें लेकर मास्टर ट्रेनर को और दक्ष बनाना.

2.1.5 अन्य सेक्टर से भी तकनीकी हस्तान्तरण के अन्तर्गत इस प्रकार की योजनाओं को प्राप्त करने का प्रयत्न करना जिससे इसके कार्यक्षेत्र को बढ़ाया जा सके.

2.1.6 समय–समय पर स्टेटस पेपर तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप पर तैयार कराकर ससमय ग्राम्य विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली एवं वन एवं

ग्राम्य विकास शाखा, उत्तरांचल शासन को भिजवाना जिससे कि निर्धारित समय पर केन्द्राशं एवं राज्यांश अवमुक्त हो सके.

2.1.7 नई परियोजना होने के कारण समय–समय पर आवश्यकतानुसार यदि संशोधन आवश्यक हो तो योजना के हित में संशोधन जारी करवाना.

2.1.8 प्रत्येक माह इस परियोजना के आय–व्यय का ब्यौरा जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों से प्राप्त कर वन एवं ग्राम्य विकास शाखा, उत्तरांचल शासन को अवलोकनार्थ भिजवाना.

2.2 जिला स्तरीय समिति

1. सम्बन्धित जिले का मुख्य विकास अधिकारी — अध्यक्ष
2. सम्बन्धित विकास खण्डों के खण्ड विकास अधिकारी — सदस्य
3. सम्बन्धित विकास खण्डों के परियोजना से सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी — सदस्य
4. सुश्री विनीता साह, परियोजना समन्वयक, तकनीकी — सदस्य
5. सम्बन्धित जिले का परियोजना निदेशक, डी.आर.डी.ए. — सदस्य संयोजक

3. इस समिति की माह में एक बार बैठक होगी तथा समिति निम्नानुसार कार्य सम्पादित कर अपनी रिपोर्ट राज्य स्तरीय कार्यान्वयन एव अनुश्रवण समिति के अवलोकनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करेगी :

3.1 इस योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जा रहे कार्यो का

मूल्यॉकन व अनुश्रवण करेगी तथा विकास खण्ड स्तर से प्राप्त मासिक प्रगति प्रतिवेदन संकलित कर राज्य स्तरीय समिति को प्रेषित करेगी.

3.2 इस योजना के अन्तर्गत नीचे के स्तर पर आ रही क्रियान्वयनत्मक कठिनाईयों का निराकरण करेगी तथा यदि राज्य स्तरीय समिति से निर्देश प्राप्त करने होंगे तो उनको राज्य स्तरीय समिति के संज्ञान में लायेगी.

3.3 जिला स्तर पर आय व्यय का ब्यौरा विकास खण्डों से प्राप्त कर राज्य स्तरीय समिति के स्तर पर भिजवायेगी।

3.4 इस कार्यक्रम को स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना से जोड़ने हेतु प्रयत्नशील रहेगी।

3.5 तकनीकी हस्तान्तरण (जैविक कम्पोस्ट) के व्यापक महत्व को देखते हुए अन्य क्षेत्र जैसे गन्ना मिलें, कृषि उत्पादन तथा जलागम योजनायें इत्यादि में इसके प्रभावी प्रवेश के लिए प्रयास करेगी।

3.6 विकास की अन्य गतिविधियों में इस प्रकार से तकनीकी हस्तान्तरण करना जिससे यह परियोजना स्वयं टिकाऊ (Self Sustainable) हो जाये और शासन द्वारा स्वीकृत परियोजना काल के उपरान्त भी सक्रिय रह सके।

विकास खण्ड पर खण्ड विकास अधिकारी अपनी मासिक बैठक में इस तकनीकी हस्तान्तरण (जैविक कम्पोस्ट) पर विस्तृत चर्चा करेंगे तथा इसका एक नोट जिला स्तरीय समिति को प्रत्येक दशा में आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजेंगे ।

उपरोक्त आदेशों का परिपालन कड़ाई से सुनिश्चित करते हुए निरन्तर

अनुश्रवण किया जाय तथा समय–समय पर यदि कोई योजना के संचालन में मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो प्रमुख सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास के संज्ञान में लाते हुए परामर्श किया जाये।

(डा.आर.एस.टोलिया)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

संख्या /व.ग्रा.वि./तददिनॉक
प्रतिलिपि :

1. सम्बन्धित अधिकारियों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को परिपालनार्थ.
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि वह अपने स्तर से एक अधिकारी को नामित कर मुख्य विकास अधिकारी देहरादून एवं शासन को अवगत कराने का कष्ट करें.
3. मुख्य विकास अधिकारी, नैनीताल एवं हरिद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु.
4. उपायुक्त कार्यक्रम, ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज निदेशालय, उत्तरांचल पौड़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित.
5. अपर सचिव, ग्राम्य विकास एवं पंचायत को सूचनार्थ.

प्रमुख सचिव एवं आयुक्त
वन एवं ग्राम्य विकास